Annexure - 2

राजस्थान राज-पत्र		RAJ BIL/2000/1717 RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक		Extraordinary
साधिकार प्रकाशित		Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 3, बुधवार, शाके 1923—जुलाई 25, 2001

Sravana 3, Wednesday, Saka 1923—July 25, 2001

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।

चिकित्सा (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचनायें

जयपुर, जुलाई 25, 2001

संख्या प. 12(38) चि. 5/94-पार्ट-III:-प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये निदेशक (प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती है।

जयपुर, जुलाई 25, 2001

संख्या प. 12(38) चि. 5/94-पार्ट-III:-प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये नियुक्त समुचित प्राधिकारी को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:—

1. सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का विभागाध्यक्ष;
2. सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के शिशु रोग विभाग का विभागाध्यक्ष;
3. आनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत);
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत);
5. निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. (आई. ई. सी.) विभाग, जयपुर में कार्यरत जन सम्पर्क अधिकारी; तथा
6. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में कार्यरत उप विधि परामर्शी।

नोट:—

1. सलाहकार समिति में क्रम सं. एक व दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्रम सं. 1, 2, 5 एवं 6 के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति किन्हीं दो बैठकों को मध्य 60 दिवस से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

आज्ञा से,

पी. लाल,

उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

2